खाकी

कानून सवार लव जिहाद बनाम समाज में लव आख्यान

विकास नारायण राय

जो वे राजनीति में देखना चाहते हैं, वही कमोबेश कानून व्यवस्था में भी करने वाले हैं। यानी हिन्दू-मुस्लिम! उनका बस चले तो एक समुदाय के अपराधियों पर सामान्य कानून लागू हों जबकि दूसरों पर, उन्हीं अपराधों के लिए, कठोरतम कानून- यूपा, रासुका, गैंगस्टर, राजद्रोह। अपराधों की इसी दूसरी सूची में अब एक और नया अपराध शामिल करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसका नाम होगा 'लव जिहाद'।

इन दिनों दो लड़कियों की नृशंस हत्याएं चर्चा में रहीं, दोनों में हत्या का मकसद लड़की से जबरन शादी करना था। लेकिन हरियाणा में हुए अपराध को लव जिहाद बता कर प्रचारित कराया गया और बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान हुए अपराध को 15 दिन तक दबा कर रखा गया। क्या यह भी बताना होगा कि पहले मामले में अपराधी मुस्लिम था और लड़की हिन्दू जबकि दूसरे में अपराधी हिन्दू और लड़की मुस्लिम?

देश की कानून व्यवस्था प्रणालियों की विश्वसनीयता पर भ्रष्टाचार, औपनिवेशिक मानसिकता, सत्ता दखल और वीआईपी संस्कृति का पारंपरिक बोझा पहले ही कम नहीं था, ऐसे में इनमें लव जिहाद के नाम पर कट्टरपंथी राजनीति का विस्फोटक मिश्रण शामिल हो जाने से यह संकट और गहरा होता जाएगा।

इस बीच बल्लभगढ़, फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड की चार्जशीट अदालत में दाखिल की जा चुकी है और उसमें मीडिया में बहु-प्रचारित लव जिहाद मंशा का कोई जिक्र नहीं है। जबकि, समाज को स्तब्ध कर देने वाली इस निर्मम हत्या ने ही भाजपा की तीन राज्य सरकारों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा - की ओर से लव जिहाद कानून का राग छेड़ने में ट्रिगर का काम किया है। तीनों राज्यों के गृह मंत्री ऐसा कानून जल्द लाने का संकल्प लगातार दोहरा रहे हैं। यानी, लव जिहाद जैसा कोई अपराध समाज में हो रहा हो या नहीं, उस राजनीति पर कानून व्यवस्था का पर्दा डालने का काम अवश्य आगे बढ़ाया जाएगा।

2020 की इन घोषणाओं में 2016-18 के केरल (अखिला-हदिया) प्रकरण के दौर से कहीं बढ़-चढ़ कर निश्चितता नजर आती है। तब, धर्म परिवर्तन कर हिन्दू अखिला से मुस्लिम हदिया बनी और अपने पसंदीदा मुस्लिम युवक से शादी करने वाली 24 वर्षीय होमियोपैथी मेडिकल छात्रा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी शादी को वैध माना था। न्यायालय ने निर्णय देने से पहले केंद्र सरकार की आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी एनआईए को भी व्यापक छान-बीन के लिए लगाया लेकिन राज्य में लव जिहाद परिघटना के सबूत नहीं मिले थे।

दरअसल, समाज में ऐसे हिन्दू-मुस्लिम विवाह के अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा होता है न कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी। मुस्लिम कानून में यह वैध शादी की एक अनिवार्य शर्त हो सकती है लेकिन इससे लव जिहाद की मुहिम चलाने वालों को जबरन धर्म परिवर्तन का विवाद खड़ा करने की सुविधा बैठे-बिठाये मिल रही है। यानी हिन्दू और मुस्लिम दोनों कट्टरपंथियों के निशाने से बचने का उपाय होगा कि ऐसी शादियाँ सिविल मैरिज एक्ट में रजिस्टर की जाएँ और उनकी संतानों को भारतीय उत्तराधिकार कानून में समान हिस्सेदारी का लाभ मिले।

हिन्दू-मुस्लिम विवाह : शादी के लिए धर्म परिवर्तन, न कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी

हिन्दुत्ववादियों की लव जिहाद मुहिम को एक और सुविधा है जिससे यह बार-बार सिर उठा पा रही है। मौजूदा अपहरण कानूनों और जातिवादी वैवाहिक रीतियों ने भी इसे सामाजिक स्वीकार्यता की जमीन प्रदान की है। मौजूदा न्याय प्रणालियों में ही इतने लोच हैं कि वयस्क प्रेम को भी अपहरण की संज्ञा दी जा सकती है, और प्रेम विरोधियों को नैतिकता का स्वयंभू संरक्षक बनने की छूट रहती है।

तो भी, भारतीय उप-महाद्वीप में, बुद्ध, अशोक, कबीर, नानक, अकबर, गांधी के समाज में, विभिन्न जीवन शैलियों का संगम इतना स्वाभाविक रहा है कि साम्प्रदायिक अलगाव लादने की राजनीति तुरंत पकड़ में आ जाती है। ऐसे में, मीरा, राधा, हीर, लैला की सहज सामाजिकता को कृत्रिम लव जिहाद कानून से नियंत्रित करने की समझ पर हंसा ही जा सकता है।

मैं अपने पुलिस जीवन के एक प्रसंग के माध्यम से इस सामाजिकता का खाका खींचना चाहूँगा। 1992 में एसपी करनाल लगने पर मुझे जिला कष्ट निवारण समिति में एक अपहरण का मामला विरासत में मिला जिसके समाधान पर सभी की नजर लगी थी। घर की लड़की को विजातीय किरायेदार से प्रेम हो गया था और दोनों अपनी राह निकल गए। माँ-बाप ही नहीं उनकी बिरादरी ने भी आरोपी को पकड़ने और लड़की की वापसी को बेहद तूल दे रखा था। एक नैतिक सत्याग्रह जैसा आन्दोलन चल निकला था और समिति के चेयरमैन (मंत्री) ने भी जन-दबाव में इसे नाक का सवाल बना रखा था।

खैर, पुलिस की भाग-दौड़ से दोनों को खोज निकाला गया। उनके घर वापस लाये जाने से पहले पिता ने मुझसे अलग से मिलने का समय माँगा। उसे अपनी लड़की और किरायेदार के बीच प्रेम का उनके लापता होने के पहले से पता था। वह जानता था कि बेटी के विजातीय विवाह से उसे बिरादरी का कोपभाजन होना पड़ेगा। लिहाजा, उसने ही दोनों को घर से दूर विवाह करने में मदद की थी। बिरादरी के तिरस्कार से बचने के लिए उसे अपहरण का मुकदमा लिखाना पड़ा जो कष्ट निवारण समिति में पहुंचकर तूल ले बैठा।

अब पिता चाहता था कि बाहर ही बाहर लड़के-लड़की को उनके हाल पर छोड़ दिया जाये और केस खत्म कर दिया जाये। उसे अलग से, बिना बिरादरी को सूचित किये, समिति की अगली बैठक की सूचना दी जाये जहाँ वह अपनी शिकायत वापस ले लेगा। ऐसा ही किया गया। वह एक समझदार पिता था और उसने बिरादरी की खातिर अपनी बेटी की खुशियों का सौदा नहीं होने दिया।

लव जिहाद की उन्मादी राजनीति से लव आख्यान नहीं बदलने वाले!

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी,

राष्ट्रीय

भारत की सड़ांध मारती व्यवस्था को चुनौती देते कुणाल कामरा

यूसुफ किरमानी

क्या कुणाल कामरा ऐसे महानायक बनकर उभरे हैं जो उन तमाम पीड़ितों की नाराजगी का प्रतीक हैं जिन्हें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। सोशल मीडिया कुणाल कामरा के साथ खड़ा हो गया है। जाने-माने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समय भी यही हुआ था। प्रशांत भूषण ने जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर तीखी टिप्पणियां की थीं तो उस समय उन पर अवमानना का केस चलाया गया। उस समय सोशल मीडिया प्रशांत भूषण के साथ खड़ा नजर आया। वही स्थिति फिर से बन गई है।

व्यवस्था जब सड़ांध मारने लगती है और न्याय व्यवस्था जब गूंगी बहरी हो जाती है तो उन हालात में कुणाल कामरा और प्रशांत भूषण जैसों की टिप्पणियां लोगों के जख्मों पर मरहम रखने का काम करती हैं। एक कारोबारी दंपती की खुदकुशी के मामले में विवादित ऐंकर अर्णब गोस्वामी को मुम्बई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अपनी जमानत के लिए गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अर्णब का केस हैंडल किया था। अर्णब को जमानत देते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अर्णब की आजादी को आम लोगों की आजादी से जोड़ दिया। यहीं पर जस्टिस चंद्रचूड़ कुणाल कामरा ही नहीं आम लोगों की आलोचना का भी शिकार हुए। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि क्या बात सिर्फ अर्णब गोस्वामी की आजादी की है और वो अनगिनत लोग जो कई महीनों और साल से जेलों में बंद हैं, उनकी आजादी का कोई मतलब नहीं है।

बॉलिवुड एक्टर कमाल आर. खान जो अक्सर अपने विवादित ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं, वे कुणाल कामरा के समर्थन में खुल कर सामने आये हैं। कमाल ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कुणाल कामरा को बहादुर बताते हुए लिखा है कि कुणाल कामरा ने अपनी बहादुरी सिद्ध कर दी है। वह सौ फीसदी सही हैं। कमाल ने भी वही बात कही जो आम लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। कमाल ने कहा -जब अर्णब गोस्वामी बोलने के लिए आजाद है, जो वह सोचता है ठीक है, तो फिर कुणाल क्यों नहीं?

सोशल वर्कर प्रियरंजन सिंह का यह ट्वीट काबिलेगौर है कि बड़ी अदालतों के जज

गूंगी बहरी न्याय व्यवस्था में कुणाल कामरा जनता के लिए एक मरहम की तरह है

रिटायर होने के बाद राज्यसभा जाने की वजह से इंसाफ नहीं कर पाते। अयोध्या और अन्य महत्वपूर्ण मामलो पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के मामले में यह बात साबित भी हो चुकी है। प्रियरंजन सिंह ने लिखा है - क्या अब ये ना समझा जाए कि सुप्रीकोर्ट के जज लोग रिटायर्ड होने के बाद राज्यसभा जाने के चक्कर में न्याय नहीं कर पाते? अगर ऐसा नहीं है तो देश को संतुष्ट करे।

उदयपुर कोर्ट पर भगवा झंडा

वाई.एस. शाह नामक ट्वीटर यूजर ने उदयपुर जिला अदालत की बिल्डिंग पर भगवा झंडा फहराने का मामला उठाया है। शाह ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर अर्णब गोस्वामी और भाजपा नेताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि उस समय भी तो कोर्ट की अवमानना हुई थी, तब ये लोग क्यों चुप रहे। पाठकों को तीन साल पहले हुई इस घटना के संदर्भ में याद दिला दें। बीबीसी के मुताबिक 15 दिसम्बर 2017 को राजसमंद में अफराजुल नामक युवक की हत्या के बाद आरोपी शंभु के समर्थन में हिन्दू प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को उदयपुर में धारा- 144 लागू होने के बावजूद कोर्ट चौराहे पर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उत्पाती कोर्ट के पीछे की बिल्डिंगों से छत पर चढ़े और कोर्ट के मुख्य द्वार पर भगवा झंडा फहराया। काफी देर तक झंडा फहराकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ उत्पातियों ने छत से पुलिस पर पत्थर फेंके। तीन साल पहले अदालत की खुली तौहीन करने वाली इस घटना के कितने आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई। इस घटना के पीछे जो दक्षिणपंथी और फासीवादी ताकतें थीं क्या अदालत आजतक उनकी पहचान कर पाया। यह घटना दरअसल अदालत को भगवा रंग में रंगने का संदेश देने के लिए ही कराई गई थी। उदयपुर में तीन साल पहले जमा हुई वह भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं थी बल्कि वे सेवक थे जो अदालतों को अपने अनुसार चलाने का संकेत देना चाहते थे।

..और ये सेवक राष्ट्रीय ध्वज का कितना सम्मान करते हैं उसका अंदाजा भी उदयपुर की घटना से होता है। उदयपुर में कोर्ट की बिल्डिंग से राष्ट्रीय ध्वज नोचकर फेंक दिया गया था, और उसकी जगह भगवा झंडा लगाया गया था। याद कीजिए, भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान पैदा हुए आरएसएस ने सिर्फ चंद साल पहले ही अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया, इससे पहले वे भगवा ध्वज को ही प्रणाम करते थे। उनकी शाखाओं में आज भी भगवा ध्वज को ही प्रणाम किया जाता है।

हरीश साल्वे साहब की काबिलियत

सुप्रीम कोर्ट में अर्णब के लिए खड़े होने वाले सीनियर वकील हरीश साल्वे की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है। साथ ही सबसे अमीर वकील का भी तमगा उन्हें मिला हुआ है। लेकिन पाठकों को याद दिला दें कि बॉलिवुड के मशहूर ऐक्टर सलमान खान का केस साल्वे साहब ने ही लड़ा था। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को अपनी कार से कुचलने का आरोप सलमान पर लगा था। सलमान ने उस समय शराब पी रखी थी। यह मामला हाई कोर्ट कर पहुंचा था। सलमान को सजा सुनाई गई। लेकिन हरीश साल्वे के नेतृत्व में कई सौ वकीलों की फौज सलमान के लिए लगी और सलमान को जेल जाने की बजाय घर पहुंचा दिया। यह मामला अभी भी एक उदाहरण बना हुआ है कि अगर अच्छा और महंगा वकील आपके पास हो तो वह आपको जेल जाने से बचा सकता है, बेशक आपका अपराध कैसा भी हो। इस घटनाक्रम से पता चलता है कि आखिर क्यों आम जनता का भरोसा अदालतों पर कम होता जा रहा है। हरीश साल्वे मुकेश अंबानी से लेकर टाटा तक के केस लड़ते हैं। 2014 में नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था। 25 जनवरी 2015 को हरीश साल्वे को पद्मभूषण सम्मान देने की घोषणा की गई थी। बताते हैं कि हरीश साल्वे को यह सम्मान देने के लिए उच्चस्तर पर विशेष आग्रह था। हरीश साल्वे की जीवनी पर कोई किताब अब तक नहीं लिखी गई है लेकिन हो सकता है कि उसमें कहीं वो खुद या कोई और जिक्र करे कि कभी किसी गरीब का केस हरीश साल्वे ने एक रुपया लेकर लड़ा हो। यह कहानी तो पढ़ने को मिल जाएगी कि हाई प्रोफाइल कुलभूषण जाधव का केस अंतरराष्ट्रीय अदालत में उन्होंने मात्र एक रुपया फीस लेकर लड़ा था। जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। गरीब का केस लड़ने वाले चोटी के वकीलों की संख्या इस देश में बहुत मामूली है।

एक महीने बाद कप्पन की याद

केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आज करने जा रहा है। सिद्दीक कप्पन की पत्नी और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कप्पन के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ से अर्णब की आजादी के संदर्भ में सवाल उठाया था। पत्रकार सिद्दीक कप्पन जब हाथरस में दलित लड़की से रेप और हत्या के मामले में रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो यूपी पुलिस ने उन्हें 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद यूपी पुलिस ने इसे अंतरराष्ट्रीय साजिश बता डाला और कहा कि सिद्दीक कप्पन पीपुल्स फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े हैं और पीएफआई हाथरस को लेकर चल रहे आंदोलन की फंडिंग कर रहा है। लेकिन अगले ही दिन मामला फुस्स हो गया। केरल श्रमजीवी पत्रकार संघ सामने आया और उसने बताया कि सिद्दीक कप्पन उसके संगठन के सचिव हैं, वे बाकायदा पत्रकार हैं और रिपोर्टिंग के लिए हाथरस गए थे। उसने बाकी आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद केरल श्रमजीवी पत्रकार संघ मामले को अदालत ले गया। यही वह अदालत है जिसने इस याचिका की सुनवाई चार हफ्ते बाद करने का निर्देश जारी किया था। अर्णब की आजादी की चिन्ता करने वाली अदालत को उस समय कप्पन की व्यक्तिगत आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी का ध्यान नहीं आया।

तरुण विजय के ट्वीट

बढते प्रदूषण की वजह से नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिवाली के मौके पर पटाखे न छुड़ाने और इस पर पाबंदी लगाने का आदेश तमाम राज्य सरकारों ने दिया था। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी ने फौरन पटाखे छुड़ाने पर पाबंदी का आदेश जारी कर दिया। लेकिन दिवाली की रात आरएसएस विचारक और कथित पत्रकार तरुण विजय ने जो ट्वीट किये वो एनजीटी जैसी अदालत का अपमान है। तरुण विजय ने लिखा - दिल्ली में पिछले 35 सालों में पटाखों की तेज आवाजें इससे पहले कभी नहीं सुनी थीं।। अगर आप सुनना चाहते हैं तो यह आवाज बहुत तेज और स्पष्ट है। जय भवानी, जय मां काली। उसी रात एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा - बहादुर दिवाली। तरुण विजय का एक और ट्वीट देखिए - पटाखों पर पाबंदी फेल हो गई, यह अवमानना के लायक ही है।

तरुण विजय के ये ट्वीट क्या बताते हैं...यह सीधे सीधे एक न्यायिक संस्था का अपमान है या नहीं। संघ विचारक के इन बयानों के आधार पर क्या उन पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूं। जो आजादी कुणाल कामरा को हासिल है, वही तरुण विजय को भी है। लेकिन अर्णब गोस्वामी को मिली आजादी सुप्रीम कोर्ट की नजर में ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अर्णब गोस्वामी अपने चैनल पर बैठकर जिस तरह की एकतरफा और मनगढ़ंत पत्रकारिता कर रहे हैं, वह विवाद का अलग विषय है। लेकिन सुप्रीम अदालत के पास अपनी साख बचाने का अभी भी मौका है। उसे चाहिए कि वह कुणाल कामरा के मामले दायर याचिकाओं को खारिज कर दे।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)